B.Com. (HONS)
P2 - A/cs (H)
Paper - III BRF
Date - 12.05.2020

प्रो० धनंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V.S.J. महाविद्यालय
राजनगर (मधुबनी)

Unit - II

Topic - DOCTRINE OF CAVEAT EMPTOR
'क्रेता सावधान रहो' का सिद्धान्त

'क्रेता सावधान रहो' का सिद्धान्त इंग्लिश कॉमन लॉ का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है. यह सिद्धान्त प्रत्येक क्रेता को सदैव सतर्क रहने तथा अपने हितों का ध्यान रखने की सलाह देता है. इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक क्रेता का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी आवश्यकता का माल खरीदते समय सावधान रहे. यदि क्रेता विक्रेता से कोई दृढ़ताध नहीं करता तो विक्रेता उसे अपने माल के दोषों को बताने के लिए आबद्ध नहीं होता. अतः क्रेता का कर्तव्य है कि वह माल खरीदते समय उसकी पूरी तरह से जाँच कर लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि खरीदे जाने वाला माल उसके प्रयोजन के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं: यदि बाद में माल दोषपूर्ण निकल आता है या क्रेता के प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह उसके लिए विक्रेता को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता है. क्योंकि विक्रेता प्रत्येक क्रेता की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त किस्म का माल देने के लिए बाध्य नहीं है. अतः यदि क्रेता ने, विक्रेता की ओर से किसी प्रकार के मिथ्यावर्णन

Scanned with CamScanner

या कपट या उपयुक्तता संबंधी गारंटी के बिना, माल खरीदते समय अपने विवेक और कौशल पर निर्भर करके खराब माल खरीद लिया है तो उसे अपनी मूर्खता को ही दोष देना चाहिए।

इस प्रकार, यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि, क्रेता माल क्रय करते समय अपने ही चातुर्य एवं विवेक पर विश्वास करता है, यदि क्रेता को स्वयं अपने ही विवेक एवं चातुर्य का विश्वास न हो तो उसे विक्रेता से गारण्टी या आश्वासन लेना चाहिए।

निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि-

'क्रेता सावधान रहो', सिद्धान्त के अनुसार क्रेता का यह कर्तव्य होता है कि वह सावधानी रखके अपने विवेक को विश्वास में लेते हुए पर्याप्त जाँच करके यथोचित गुण, किस्म, व उद्देश्य के लिए ही माल खरीदे। विक्रेता का यह दायित्व नहीं होता है कि, क्रेता को माल के दोषों, अवगुणों व विशिष्ट उद्देश्य के लिए अनुपयुक्तता के विषय में बताये। जबतक कि यह बताना विक्रय शर्त एक शर्त न हो।

'क्रेता सावधान रहो' सिद्धान्त के निम्नलिखित अपवाद है :—

(1) जब माल खरीदने का उद्देश्य विक्रेता को बता दिया जाय तब ऐसी दशा में

विक्रेता क्रेता के विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित सीमा तक उपयुक्त माल देने के लिए उत्तरदायी होगा। लेकिन निम्नांकित शर्तों के पूरा होने पर अर्थात् —

(a) क्रेता द्वारा विशिष्ट उद्देश्य बताना

(b) क्रेता द्वारा विक्रेता के चातुर्य या विवेक पर विश्वास करना

(c) ऐसी वस्तु जिसे विक्रेता द्वारा सामान्य व्यवसाय के दौरान बेचा जाता है।

Scanned with CamSc

(2) जब माल वर्णन के अनुसार खरीदा जा रहा हो तब ऐसी स्थिति में क्रेता को सावधान रहने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि विक्रेता ही वर्णन के अनुसार व्यापार योग्य माल देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) जब माल नमूने के आधार पर खरीदा जाता है और माल की पूरी मात्रा नमूने के अनुरूप नहीं होती है या माल में कोई अदृश्य दोष होता है, तो ऐसी स्थिति में यह सिद्धान्त लागू नहीं होता है.

(4) यदि व्यापार की प्रथा या परम्परा माल की गुणवत्ता या उपयुक्तता के बारे में विक्रेता की ओर से किसी शर्त या आश्वासन की व्यवस्था करती है, और विक्रेता उसका पालन नहीं करता है तो 'क्रेता सावधान रहे' का सिद्धान्त लागू नहीं होता और विक्रेता हर्जाने के लिए दायी होता है।

(5) यदि माल नमूने और वर्णन दोनों के आधार पर क्रेता द्वारा खरीदा जाता है, और वह माल नमूने एवं वर्णन दोनों के अनुरूप नहीं होता है. तब क्रेता माल को वापस करने का अधिकारी होता है

(6) यदि विक्रेता माल के संबंध में 'कपट' की कोटि में आने वाला मिथ्यावर्णन का प्रयोग करता है. और क्रेता उसपर विश्वास करके माल खरीद लेता है, या विक्रेता माल के किसी दोष को सक्रिय रूप से इस प्रकार छिपा लेता है कि उचित जाँच करने पर पता न चल सके तो यहाँ यह सिद्धान्त लागू नहीं होता है. क्रेता संविदा को निरस्त कर कपट के संबंध में हर्जाने की मांग कर सकता है.

Scanned with CamSc

वर्तमान समय में, क्रेता सावधान रहें। सिद्धान्त की उपयोगिता में गिरावट आ रही है, कारण आज क्रेता को बाजार का राजा माना जाता है. अतः उसके संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, एम० आर० टी० पी० अधिनियम आदि पारित किये गये है. इसके अतिरिक्त व्यवसायियों द्वारा गारण्टियाँ तथा आश्वासन भी दिया जा रहा है. अतः भविष्य में इस सिद्धान्त की उपयोगिता में और भी तेजी से कमी होने की आशा की जा सकती है:—

Scanned with CamSc